

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 199/2016

उदाराम पुत्र रामरतन जाति सुथार निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला
श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पॉडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू-रा.अधि. 1956
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 02.08.2007

उपस्थिति:-

श्री अमित शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी सूरतगढ के समक्ष चक मोकलसर के ख.नं. 167/2 की 20 बीघा भूमि को अस्थाई काश्त से पुख्ता आवंटन करवाने हेतु प्रा.पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार सूरतगढ से रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली दिनांक 02.08.2007 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुई। जिस दिन प्रार्थी/अपीलांट के पास पूर्व में स्वयं के नाम 49.10 बीघा भूमि होने के कारण 0.127है. भूमि के आवंटन का पात्र होने के कारण ख.नं. 167/2 की 0.127है. भूमि का पुख्ता आवंटन किया एवं शेष भूमि का टी.सी. खारिज कर अधिशेष घोषित करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर हो चुकी है। अतः भू-राजस्व अधि.(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत सीधे ही खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु अधी. न्यायालय को निर्देशित किया जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी

40/

के अपील पेश कर दी जिसके मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का कथन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपनी बहस में कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के अनुसार उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है। इसलिए अपीलांट द्वारा जो अनुतोष चाहा है वह नहीं दिया जा सकता। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 02.08.2007 के विरुद्ध दिनांक 04.08.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पो. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपनी अपील के अनुतोष में राजस्व(उपनिवेशन) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 30.04.2008 की पालना में उक्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर थी को राजस्व भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत सीधे ही खातेदारी दिये जाने हेतु निवेदन किया। इस सम्बन्ध में राजकीय अधिवक्ता ने उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.10(02)उप/2018 जयपुर दिनांक 17.04.2018 की फोटो प्रति पेश की, के अनुसार विवादित भूमि के गांव उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष इस अपील के जरिये नहीं दिया जा सकता। उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अपीलांट सक्षम अधिकारी के समक्ष सक्षम न्यायालय में विधि के प्रावधानों के तहत अपने अनुतोष हेतु कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)